A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0 पत्र संख्या :– 194/2019
निर्णय दिनांकः– 21.08.2020

कैलाशी पत्नि रामनिवास जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
प्रार्थीया

बनाम

1. किशनलाल पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
2. हरनारायण पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
3. हनुमान पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
4. मौसमी पुत्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
5. रणजीत पुत्र बद्री जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
6. प्रधान पुत्र बद्री जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
7. मोहपाल पुत्र बद्री जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
8. भजनी पुत्री ब्रदी जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
9. गडुल पुत्री ब्रदी जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
10. ग्यारसी बेवा ब्रदी जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
11. चेतराम पत्रु पाना जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
12. सुखबाई पुत्री जाति गुर्जर निवासी झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोक
13. तहसीलदार उनियारा तह0 उनियारा जिला टोंक

प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्गत धारा 251 क राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री बरकत्तुला खां वकील प्रार्थीया
श्री बाबुलाल कासलीवाल वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 802/1169 रकबा 4.55 है0 वाके ग्राम झुण्डवा तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीया अपनी आराजी 802/1169 पर वर्षो से 804/1172 की मेड पर होकर 802/1162 की मेड पर होते हुए अपनी खातेदारी की भूमि आता जाता चला आ रही है। उक्त आराजी पर आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई भी रास्ता नही है। जिसका उपयोग प्रार्थीया वर्षो से करती आ रही है। जिसे प्रतिपक्षी सं0 3 ता 10 बन्द करना चाहते है। उनके द्वारा रास्ता बन्द किये जाने की धमकी दिये जाने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश

जाना आवश्यक हुआ है। यदि प्रार्थी को खातेदारी भूमि पर आने जाने का रास्ता नही ाया तो वह अपने जायज हक व अधिकारों से वंचित हो जावेगा।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थीया को खातेदारी एवं कब्जे की आराजी ख0न0 802/1169 पर आने जाने के लिये आराजी ख0न0 803, ख0न0 1172, ख0न0 802/1162 की मेड पर होकर आदेश प्रदान करते हुये प्रार्थीया को नुसार डी.एल.सी. रेट के अनुसार राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रार्थना पत्र जिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी पर आने जाने के रास्ते के बारे मे तहसीलदार रा से मौके की विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट आराजी ख0न0 1169 मे आने जाने हेतु ख0न0 801 जो कि सिवाय चक दर्ज है मे से रास्ता बना हुआ र्थी से रास्ते हेतु जानकारी ली गई जिसमें प्रार्थीया द्वारा बताया गया कि मेरे खेत पर तु रास्ता मिल गया है। जिससे मे पूर्ण संतुष्ट हुँ।

उभय पक्ष वकीलों बहस सुनी गई। बहस पर गोर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 म झुण्डवा मे वादग्रस्त आराजी आराजी ख0न0 802/1169 रकबा 4.55 है0 हिस्सा श्रमती कैलाशी पत्नि रामनिवास जाति गुर्जर खातेदार दर्ज है। तहसीलदार उनियारा से विस्तृत रिपोर्ट अनुसार ख0न0 802/1169 मे आने जाने के लिये ख0न0 801 जो ाय चक दर्ज है मे से रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी से रास्ते हेतु जानकारी ली गई ार्थीया द्वारा बताया गया कि मेरे खेत पर जाने हेतु रास्ता मिल गया है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया को उसकी खातेदारी की तेदारी की भूमि ख0न0 802/1169 मे आने जाने के लिये ख0न0 801 जो कि क दर्ज है मे से रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी से रास्ते हेतु जानकारी ली गई जिसमें द्वारा बताया गया कि मेरे खेत पर जाने हेतु रास्ता मिल गया है। वह वर्तमान मे होना बताया है। चाहा गया रास्ता खुलासा होने से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को करना उचित नही समझता है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य से खारिज किया जाता है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

ह निर्णय आज दिनांक 21.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे या।

उप(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा